<u>न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी (रेलवे) गोरखपुर।</u>

उपस्थितिः- प्राग दत्त शुक्ल (उ०प्र० न्यायिक सेवा)

फौजदारी वाद संख्या- 1039/2018

अपराध संख्या- 735/2017

राज्य----------**परिवादी**

<u>बनाम</u>

गिरिजेश सिंह पुत्र स्व० रामनयन सिंह,

निवासी- डी-2, दुर्गेश्वर नगर, रानीडीहा चौराहा, थाना खोराबार, जिला गोरखपुर.....**अभियुक्त**

धारा- 143 रेल अधिनियम

थाना- आर०पी०एफ पोस्ट गोरखपुर-छावनी।

<u>दिनांकः-12.01.2026</u>

<u>निर्णय</u>

अभियुक्त गिरिजेश सिंह द्वारा फौजदारी वाद संख्या 1039/2018 राज्य बनाम गिरिजेश सिंह वगै० मु०अ०सं० 735/2017 अन्तर्गत धारा 143 रेल अधिनियम थाना आर०पी०एफ पोस्ट गोरखपुर-छावनी के प्रकरण में इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी गरीब व्यक्ति है। माफी मांग कर मुकदमें का निस्तारण जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर बिना किसी दबाव के समाप्त कराना चाहता है। अतः प्रार्थना है कि जुर्मस्वीकारोक्ति के आधार पर मामला निस्तारित करने की कृपा करें। अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में उपस्थित है।

सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया। प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्तगण गिरिजेश सिंह व अंकित कुमार का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जा रहा था लेकिन दौरान विचारण अभियुक्त गिरिजेश सिंह द्वारा स्वेच्छा से जुर्म स्वीकार किये जाने का कथन जरिये प्रार्थना-पत्र किया गया है। संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 16.12.2017 को मुकेश कुमार सिंह प्र०नि०/अ०आ०शा/गो०क्षेत्र साथ बल सदस्यों द्वारा मुखबीर सूचना के आधार पर रानीडीहा चौराहा के दिव्य नगर स्थित सुभम मिडिया प्वाइंट नामक दुकान पर बैठे व्यक्ति/अभियुक्त गिरिजेश सिंह पुत्र स्व० रामनयन सिंह, निवासी डी–2, दुर्गेश्वर नगर, रानीडीहा चौराहा, थाना खोराबार, जिला गोरखपुर व सह–अभियुक्त अंकित कुमार पुत्र अनिल निवासी खलवापट्टी, थाना धनहा, जिला चंपारण (बिहार) को पर्सनल यूजर आई.डी. पर रेल आरक्षित ई–टिकट बनाकर बेचने के अवैध कारोबार में संलिप्त पाकर कुल 18 अदद रेलवे आरक्षित ई–टिकट के साथ कब्जा/हिरासत समय 12:30 बजे आर.पी.एफ. पुलिस द्वारा लिया गया। अभियुक्तगण के पास उक्त रेलवे आरक्षित ई–टिकट को बनाकर बेचने का कोई वैध अधिकार पत्र नहीं था। इस प्रकार उनके द्वारा 143 रेल अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया गया।

अभियुक्त गिरिजेश सिंह द्वारा अपने बयान मुल्जिम में अभियोजन द्वारा लगाये गये इस आरोप को स्वीकार किया गया है कि दिनांक 16.12.2017 को मुकेश कुमार सिंह प्र०नि०/अ०आ०शा/गो०क्षेत्र साथ बल सदस्यों द्वारा मुखबीर सूचना के आधार पर रानीडीहा चौराहा के दिव्य नगर स्थित सुभम मिडिया प्वाइंट नामक दुकान पर बैठे व्यक्ति/अभियुक्त गिरिजेश सिंह पुत्र स्व० रामनयन सिंह, निवासी डी–2, दुर्गेश्वर नगर, रानीडीहा चौराहा, थाना खोराबार, जिला गोरखपुर व सह–अभियुक्त अंकित कुमार पुत्र अनिल निवासी खलवापट्टी, थाना धनहा, जिला चंपारण (बिहार) को पर्सनल यूजर आई.डी. पर रेल आरक्षित ई–टिकट बनाकर बेचने के अवैध कारोबार में संलिप्त पाकर कुल 18 अदद रेलवे आरक्षित ई–टिकट के साथ कब्जा/हिरासत समय 12:30 बजे आर.पी.एफ. पुलिस द्वारा लिया गया। अभियुक्तगण के पास उक्त रेलवे आरक्षित ई–टिकट को बनाकर बेचने का कोई वैध अधिकार पत्र नहीं था। इस प्रकार उसके द्वारा 143 रेल अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया गया। बयान मुल्जिम में अभियुक्त द्वारा स्वेच्छा से जुर्म स्वीकार किये जाने का कथन किया गया है। चूंकि प्रस्तुत प्रसरण में अभियुक्त द्वारा बिना किसी दबाव के तथा स्वेच्छा से जुर्म स्वीकार किया गया है। ऐसे में पत्रावली पर प्रस्तुत अभियोजन साक्ष्य एवं अभियुक्त द्वारा स्वेच्छा

से जुर्म स्वीकार करने के दृष्टिगत न्यायालय के मत में अभियुक्त पर धारा 143 रेल अधिनियम का आरोप साबित होता है। तद्नुसार अभियुक्त धारा 143 रेल अधिनियम के अन्तर्गत दोषसिद्ध किये जाने योग्य है।

अभियुक्त गिरिजेश सिंह को धारा 143 रेल अधिनियम के अन्तर्गत दोषसिद्ध किया जाता है।

अभियुक्त न्यायालय में न्यायिक अभिरक्षा में उपस्थित है। अभियुक्त के बन्धपत्र निरस्त किये जाते है । दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु पत्रावली पेश हो।

दिनांक- 12.01.2026

(प्राग दत्त शुक्ल)
अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी (रेलवे)
गोरखपुर

दण्ड के प्रश्न पर सुना।

अभियोजन द्वारा दोषसिद्ध को कठोर से कठोर सजा दिये जाने का कथन किया गया है। जब कि दोषसिद्ध द्वारा यह कथन किया गया कि वे अपने घर के अकेले कमाने वाला व्यक्ति है तथा वह गरीब आदमी है। वह मजदूरी करके अपने परिवार का भरण-पोषण करते है। वह मुकदमा नही लड़ना चाहते है। अतः उसे कम से कम दण्ड से दण्डित किया जाय।

प्रस्तुत प्रकरण में दोषसिद्ध द्वारा स्वेच्छा से अपना जुर्म स्वीकार किया गया है। उसके द्वारा कथन किया गया कि वह गरीब आदमी है तथा मजदूरी करके अपने परिवार का भरण-पोषण करता है। वह कई वर्षों से मुकदमा लड़ रहा है परन्तु अब मुकदमा लड़ने में असमर्थ है। ऐसे में मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों में न्यायालय के मत में दोषसिद्ध अभियुक्त गिरिजेश सिंह को धारा 143 रेल अधिनियम उसके द्वारा पूर्व में कारागार में बिताई गई अवधि से व मु० 6,000/- (छः हजार रुपये) अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना न्यायोचित एवं विधि सम्मत है।

आदेश

अभियुक्त गिरिजेश सिंह को फौजदारी वाद संख्या 1039/2018 राज्य बनाम गिरिजेश सिंह वगै०, मु०अ०सं० 735/2017 अन्तर्गत धारा 143 रेल अधिनियम थाना आर०पी०एफ० पोस्ट गोरखपुर-छावनी में जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर दोषसिद्ध करते हुए उसके द्वारा पूर्व में कारागार में बिताई गई अवधि से व मु० 6,000/- (छः हजार रुपये) अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में अभियुक्त 15 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगेगा।

दिनांक- 12.01.2026

(प्राग दत्त शुक्ल)
अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी (रेलवे)
गोरखपुर

आज यह निर्णय/आदेश मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

दिनांक- 12.01.2026

(प्राग दत्त शुक्ल)
अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी (रेलवे)
गोरखपुर